सं. 68] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 6, 2005/वैशाख 16, 1927
No. 68] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 6, 2005/VAISAKHA 16, 1927

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 3 मई, 2005

सं. टीएएमपी/8/2005-टीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा, इन्टरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्यूरिटी (आईएसपीएस) संहिता लागू करने के प्रयोजन से व्यक्तियों और वाहनों के लिए पहचान पत्र जारी करने हेतु दर निर्धारण करने के लिए तूतीकोरिन पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव को संलग्न आदेश के अनुसार अनुमोदन प्रदान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/8/2005-टीपीटी

तूतीकोरिन पत्तन न्यास (टीपीटी) — आवेदक

आदेश

(अप्रैल 2005 के 25 वें दिन पारित)

यह प्रकरण पत्तन में इन्टरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्यूरिटी (आईएसपीएस) संहिता लागू करने के प्रयोजन से व्यक्तियों और वाहनों के लिए पहचान पत्र जारी करने हेतु दर निर्धारण के लिए तूतीकोरिन पत्तन न्यास (टीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है ।

1.2. टीपीटी के वर्तमान दरमान मे व्यक्तियों के लिए अस्थाई पास और वाहनो / उपस्करो (मशीनो) के प्रवेश के लिए लाइसैंस शुल्क लगाने का प्रावधान है ।

2.1. टीपीटी ने अपने प्रस्ताव में निम्नलिखित मुख्य बिन्दु उठाए है:

(i) पत्तन क्षेत्र में 1 जुलाई 2004 से इन्टरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्यूरिटी (आईएसपीएस) संहिता लागू करने की दृष्टि से पत्तन सुरक्षा की दीवारों के भीतर प्रवेश करने वाले सभी उपयोगकर्त्ताओं को, नियंत्रित प्रवेश सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फोटोयुक्त पहचान पत्र धारण करने होंगे ।

(ii) टीपीटी के वर्तमान दरमान की अनुसूची 5.14 के अन्तर्गत, पत्तन क्षेत्र (हार्बर) के भीतर प्रवेश के लिए अस्थाई पास जारी करने हेतु रु. 2.50 प्रति व्यक्ति का प्रभार निर्धारित किया गया है ।

आईएसपीएस कोड लगाने के साथ ही व्यक्तियो के लिए पहचान पत्र रु. 11.22 प्रति पहचान पत्र की लागत से जारी किए जाने है अर्थात रु. 7.22 प्रति पहचान पत्र ठेकेदार को (3.15% बिक्री कर सहित) देय होगा और रु. 4/- प्रत्यक्ष लागत तथा निवेश पर आमद के रूप में प्रति व्यक्ति देय होगा ।

तद्नुसार, इसने हार्बर के क्षेत्र ''क'' या क्षेत्र ''ख'' में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए अस्थाई पास जारी करने हेतु रु. 2.50 प्रति व्यक्ति के वर्तमान शुल्क के स्थान पर अस्थाई फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए रु. 12/- प्रति व्यक्ति प्रभार लगाने का प्रस्ताव किया है । इसने, तद्नुसार इस अनुसूची का शीर्षक भी संशोधित करने का प्रस्ताव किया है ।

(iii) इसके दरमान की अनुसूची 5.17 के अन्तर्गत वर्तमान नोट सं. 2

(iv) सभी हल्के वाहनो अर्थात दो पहिया, तीन पहिया वाहनो, कारों, वान्स इत्यादि को कोई भी लाइसैंस शुल्क लगाए जाने से छूट प्रदान करता है । सभी हल्के वाहनों के लिए पहचान पत्र लागू करने की दृष्टि से, इसने ऐसे वाहनों के प्रवेश पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया है । हल्के वाहनो के लिए पहचान पत्र की लागत रू. 8.90 प्रति पहचान पत्र आती है (अर्थात बिक्री कर सहित ठेकेदार को देय रु. 7.22 और प्रत्यक्ष लागत तथा निवेश पर आमदनी के रूप में रु. 1.68). तद्नुसार, इसने क्षेत्र क और ख के लिए (भीतरी सुरक्षा दीवार सहित) चैक पोस्ट और 11 मे प्रवेश करने वाले सभी हल्के वाहनो, यथा, दो पहिया, तीन पहिया वाहनों, कारो, वान्स इत्यादि के लिए प्रति पहचान पत्र रु. 10/- लगाने का प्रस्ताव है । इसके लिए इसने अपने दरमान की अनुसूची 5.17 में क्रम सं. 8 पर इस मद के लिए एक नई प्रविष्टि डालने का प्रस्ताव किया है ।

(v) निवेश की लागत और प्रचालन लागत का ब्यौरा प्रस्ताव के साथ भेज दिया गया है ।

(vi) इन प्रस्तावों के बारे मे उपयोगकर्त्ताओं को सूचित कर दिया गया है, तथापि उसे इस विषय में कोई आपत्ति नहीं हुई है ।

(vii) इस प्रस्ताव को, इसके न्यासी मंडल ने 18 दिसम्बर 2004 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित कर दिया है ।

2.2. इस पृष्ठ भूमि मे, टीपीटी ने अपने वर्तमान दरमान के अध्याय V- विविध प्रभार में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित किए हैं:

(ii) वर्तमान अनुसूची 5.14 अस्थाई पास जारी करने के लिए प्रभार को निम्नानुसार प्रतिस्थापित करना:

''5.14 - अस्थाई फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए प्रभार''

क्रम सं.	विवरण	ईकाई	प्रस्तावित दर (रु. में)
1	हार्बर में (क्षेत्र क में या क्षेत्र ख में) प्रवेश के लिए अस्थाई फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए प्रभार	प्रति व्यक्ति	12.00

(iii) अनुसूची 5.17 में निम्नानुसार क्रम स. 8 के रूप मे - वाहनों / उपस्करों के प्रवेश के लिए लाइसैंस शुल्क नई प्रविष्टि डालना ।

क्रम सं.	विवरण	यूनिट	प्रस्तावित दर (रु. में)	
			चैक पोस्ट I और II (भीतरी सुरक्षा दीवार छोड़कर) क्षेत्र क और क्षेत्र ख मे प्रवेश	चैक पोस्ट I और चैक पोस्ट II (भीतरी सुरक्षा दीवार छोड़कर) क्षेत्र क और क्षेत्र ख मे प्रवेश
8	सभी हल्के वाहन यथा दो पहिया, तीन पहिया वाहन कारें, वान्स इत्यादि	प्रत्येक	-	10

3.1. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार प्रस्ताव सबंधित उपयोगकर्त्ता संगठनों को उनकी टिप्पणी के लिए भेजा गया था ।

3.2. विभिन्न उपयोगकर्त्ता संगठनों से प्राप्त टिप्पणियाँ टीपीटी को प्रतिपूरक सूचना के रूप मे भेजी गई थीं । टीपीटी ने उपयोगकर्त्ताओं द्वारा की गई टिप्पणियों पर अपनी टिप्पणी की है ।

4. विचाराधीन प्रशुल्क मद कोई नियमित प्रशुल्क मद नहीं है जिसका उल्लेखनीय राजस्व प्रभाव पड़े और इस प्रकरण में अधिकतर उपयोगकर्त्ता संगठनों ने प्रस्तावित दर पर कोई गंभीर आपत्ति नहीं उठाई है । इस स्थिति के मुद्देनजर, इस प्रकरण मे सयुक्त सुनवाई आवश्यक नहीं समझी गई थी ।

5. इस प्रकरण मे परामर्श से सबंधित प्रक्रियाएँ इस प्राधिकरण के कार्यालय में रिकार्ड में उपलब्ध है । प्राप्त की गई टिप्पणियों और सबंधित पक्षों द्वारा किए गए तर्कों के सार-अंश सम्बद्ध पक्षों को अलग से भेज दिए जाएंगे । ये ब्यौरे हमारे वैबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध है ।

6. इस प्रकरण पर कार्रवाई करते समय एकत्रित की गई सूचना की समग्रता के संदर्भ से निम्नलिखित स्थिति उभरती है:

(i) टीपीटी का यह प्रस्ताव पत्तन के क्षेत्र मे 1 जुलाई 2004 से इन्टरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी (आईपीएस) कोड कार्यान्वित करने की दृष्टि से फोटो पहचान पत्र जारी करने की अद्यतन लागत के संदर्भ से पत्तन परिसर मे प्रवेश करने वाले व्यक्तियों और वाहनों पर वर्तमान प्रवेश शुल्क संशोधित करने के लिए है ।

(ii) वर्तमान दरमान दो पहिया, तीन पहिया, वाहनों, कारों, वान्स इत्यादि को लाइसैंस शुल्क से छूट प्रदान करते हैं । व्यक्तियों और वाहनों दोनों के लिए फोटो पहचान पत्र लागू करने को देखते हुए टीपीटी ने क्षेत्र क और क्षेत्र ख दोनों के लिए पत्तन की सुरक्षा दीवार सहित चैक पोस्ट से प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति और वाहनों के मामले में रु. 10/- प्रत्येक प्रवेश का लाइसैंस शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया है । सुरक्षा दीवार के भीतर प्रवेश न करने वाले वाहनों के लिए कोई प्रशुल्क प्रस्तावित नहीं किया गया है । हार्बर में व्यक्तियों के प्रवेश के मामले में, वर्तमान दरमान के अनुसार बिना फोटो पहचान के अस्थाई पास जारी करने हेतु रु. 2.50 लगाने के बजाए फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए रु. 12/-प्रति व्यक्ति का प्रशुल्क प्रस्तावित किया गया है ।

(iii) बचाव और सुरक्षा के कारणों से फोटो पहचान पत्र जारी करने के टीपीटी के निर्णय का अधिकतर उपयोगकर्त्ताओं ने स्वागत किया है । टीपीटी द्वारा प्रस्तावित दरों पर तूतीकोरिन चैम्बर ऑफ कामर्स (टीसीसीआई) के अलावा किसी अन्य ने कोई बड़ी आपत्ति व्यक्त नहीं की है । टीसीसी आई ने, किसी विशेष प्रावधान का संदर्भ दिए बिना एक सामान्य टिप्पणी की है कि यह प्राधिकरण व्यक्तियों के लिए फोटो युक्त पहचान पत्र जारी करने के लिए तो प्रशुल्क निर्धारित कर सकता है किन्तु वाहनों के लिए नहीं क्योंकि यह मोटर गाड़ी प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आता है । टीपीटी ने स्पष्ट किया है कि टीसीसीआई द्वारा उठाई गई आपत्ति तर्क संगत नहीं है । जैसाकि पहले बताया गया है कि टीपीटी के वर्तमान दरमान में, व्यक्तियों और वाहनों के पत्तन परिसरो मे प्रवेश के लिए पहले से ही प्रावधान है । यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि इस प्राधिकरण ने अन्य महापत्तनों और निजी प्रचालकों के मामलों में भी लाइसैंस / प्रवेश शुल्क निर्धारित किए है । वैसा होते हुए, टीसीसीआई द्वारा उठाई गई आपत्ति निरस्त कर दी गई पाई ।

(iv) पत्तन ने फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए आवश्यक वीडियो कैमरा और अन्य उपकरणों पर निवेश करने का प्रस्ताव किया है । जैसाकि टीपीटी ने बताया है फोटो पहचान पत्रों के लिए संसाधन बाहर से जुटाए जाएंगे । टीपीटी ने प्रस्तावित दर के समर्थन में लागत ब्यौरा प्रस्तुत किया है । यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि कोच्चि पत्तन न्यास, न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास और वैजागवसी पोर्ट लिमि., पीएसए एसआईसीएएल टर्मिनल्स लिमि. जैसे निजी प्रचालकों, साऊथ वैस्ट पोर्ट लिमि. इत्यादि में आगन्तुकों के प्रवेश पर रु. 5/- से रु. 20/- प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से प्रवेश शुल्क निर्धारित किया गया है । इसी प्रकार इनमे से कुछ प्राइवेट टर्मिनल प्रचालकों में प्रति वाहन रु. 75/- प्रति प्रवेश, प्रवेश शुल्क निर्धारित किया गया है । फोटो सहित पहचान के साथ टीपीटी द्वारा प्रस्तावित प्रवेश पत्र की दर, अन्य पत्तनों और निजी प्रचालकों ने

प्रचलित दरों की तुलना में उचित पाई है। इस स्थिति को देखते हुए और इस बात को मानते हुए कि किसी भी उपयोगकर्ता ने प्रस्तावित दर पर कोई तार्किक-सटीक आपत्ति नहीं उठाई है, यह प्राधिकरण टीपीटी द्वारा प्रस्तावित दरों को अनुमोदन प्रदान करती है। टीपीटी के वर्तमान दरमान की अनुसूची 5.17 में मद संख्या 2 (iii) मे प्रदत्त वर्तमान टिप्पणी को, पत्तन में हल्के वाहनो के प्रवेश के लिए प्रस्तावित दर को देखते हुए हटाया जाता है।

(v) तूतीकोरिन स्टीवेडोर्स एसोसिएशन ने, टीपीटी द्वारा प्रदत्त सेवाओं की आकलित लागत को निकटतम पूरे रुपये में व्यक्त करने और व्यक्तियो के मामले मे यह प्रशुल्क रु. 9/- प्रति व्यक्ति और हल्के वाहनो के मामले में रु. 11/- प्रति वाहन प्रति प्रवेश या इनके स्थान पर इन दोनो श्रेणियो के लिए रू. 10/- समान रूप से निर्धारित करने का अनुरोध किया है। टीपीटी ने स्पष्ट किया है कि अगले उच्चतर पूर्ण रुपये में व्यक्त करते हुए एक रुपये का बहुत थोड़ा-सा अंतर मुद्रा स्फीति की लागत की मद में रखा गया है जिस पर प्रस्तावित दर की गणना करते समय विचार नहीं किया गया था। टीपीटी द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण उचित पाया गया है और प्रस्तावित दर को बिना किसी संशोधन या परिवर्तन के अनुमोदित किया जाता है। टीपीटी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पत्तन द्वारा 30 जून 2005 तक दाखिल किए जाने वाले, प्रशुल्क समीक्षा हेतु इसके व्यापक प्रस्ताव मे, इस मद मे कोई वृद्धि प्रस्तावित नहीं की जाएगी।

7. परिणामस्वरूप, और ऊपर दिए गए कारणों से, और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण, टीपीटी के वर्तमान दरमान में अध्याय V-विविध प्रभार के अन्तर्गत निम्नलिखित संशोधन को अनुमोदन प्रदान करता है:-

(i) वर्तमान अनुसूची 5.14- अस्थाई पास जारी करने के लिए प्रभार को निम्नानुसार प्रतिस्थापित करना

"5.14 अस्थाई फोटो पहचान पत्रों के लिए प्रभार:

क्रम सं.	विवरण	ईकाई	दर (रु. में)
1.	हार्बर में (क्षेत्र क और क्षेत्र ख में) प्रवेश के लिए अस्थाई फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए प्रभार	प्रति व्यक्ति	12.00

(ii) अनुसूची 5.17 वाहनो / उपस्करों के प्रवेश के लिए लाइसैंस शुल्क क्र.सं.8 के रूप में नई प्रविष्टि शामिल करना

क्रम सं.	विवरण	ईकाई	प्रस्तावित दर (रु. में)	
			(सुरक्षा दीवार के भीतर के अतिरिक्त) क्षेत्र क और ख मे चैक पोस्ट I और II के भीतर प्रवेश	क्षेत्र क और ख मे (सुरक्षा दीवार के भीतर सहित) चैक पोस्ट I और II मे प्रवेश
8	सभी हल्के वाहन यथा दो पहिया, तीन पहिया वाहन कारें, वान्स इत्यादि	प्रत्येक	-	10

(iii) अनुसूची 5.17 के अन्तर्गत वर्तमान टिप्पणी स. 2 (iv) को हटाना और वर्तमान टिप्पणी संख्या 2 (v) को 2 (iv) के रूप में संख्या प्रदान करना।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2005-असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd May, 2005

No. TAMP/8/2005-TPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby approves the proposal received from the Tuticorin Port Trust for fixation of rates for issue of identity cards for persons and vehicles on account of implementation of International Ship and Port Facility Security (ISPS) code as in the Order appended hereto.